"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अगस्त 2018—श्रावण 26, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2018

क्रमांक ई-1-16/2004/1/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/23/2018-एआईएस (I) दिनांक 26-06-2018 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 (2) के अंतर्गत डॉ. नितिन गौर, भा.प्र.से. (सीजी : 2016) की सेवाएं छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग से उत्तर प्रदेश राज्य संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरूप तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2018

क्रमांक/5623/एफ-05-04/बीज/2016-17/14-2.—बीज अधिनियम 1966 (1966 का 54) धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य बीज उप समिति की अनुशंसा पर, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, बीज परीक्षण प्रयोगशाला, बिलासपुर को राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में घोषित करती है, जहां उक्त अधिनियम के अधीन बीज विश्लेषकों द्वारा किसी भी प्रकार या किस्म के बीजों का विश्लेषण, बीज नियम तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जायेगा.

राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि संचालक कृषि, संयुक्त संचालक कृषि, बिलासपुर संभाग तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि, प्रयोगशाला अथा इसके कार्यकलापों के समय-समय पर निरीक्षण/जांच करने तथा आवश्यक निर्देश देने के लिए प्राधिकृत होंगे.

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगे.

No. 5623/F-05-04/Seed/2016-17/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Seeds Act, 1966 (No. 54 of 1966) and on recommendation of State Seed Sub-Committee, the State Government, hereby, declares the Seed Testing Laboratory Bilaspur as a State Seed Testing Laboratory where analysis of seeds of any notified kind or variety as per seed Rules and instruction issued from time to time by the State Government shall be carried out by the seed analysts under the said Act;

The State Government also declares that the Director of Agriculture, Joint Director of Agriculture, Bilaspur Division and representative of State Government would be authorized to inspect/enquire from time to time into laboratory or its working and give necessary instruction.

This notification will come into force with effect from its publication in the Official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जून 2018

क्रमांक 5663/4219/2018/18.—श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी अग्रवाल, आयुक्त नगर पालिक निगम अंबिकापुर को दिनांक 14-06-2018 से 30-06-2018 (17 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त नगर पालिक निगम अंबिकापुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करते रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 3-62/2008/गृह-दो.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का गठन किया गया है.

2. अत: उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06-08-2016 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में माननीय न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा (सेवानिवृत्ति छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उक्त आदेश के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम की धारा-41 (1) के तहत माननीय न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा को पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में अध्यक्ष पद पर 02 वर्ष की पुन: नियुक्ति (re-appointment) दी जाती है.

4. शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2018

क्रमांक एफ 1-12/2017/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09-05-2018 में की गई अनुशंसा के आधार पर, इस विभाग के अधीन कार्यरत् निम्नांकित उपअभियंता को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक के पद पर पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 (वेतन बैंड रुपये 15600-39100/-+ग्रेड वेतन रुपये 5400/-) में पदोन्नत किया जाता है तथा अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उन्हें स्तम्भ क्रमांक-4 में दर्शित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र. (1)	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना (4)
01.	श्री एम. एम. खरवार, उप अभियंता	कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुख्यालय, नया रायपुर (छ.ग.)	कार्यालय-अधीक्षण अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुख्यालय, नया रायपुर (छ.ग.).

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

3. उपरोक्त पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के लिए स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 की कंडिका क्रमांक (3) 3.6 में निहित प्रावधान अनुसार भारसाधक मंत्री जी का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है.

नया रायपुर, दिनांक 15 जून 2018

क्रमांक एफ 1-32/2004/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के निम्नांकित अधिकारियों को वित्त एवं योजना विभाग के परिपत्र क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 28-04-2008, क्रमांक 231/वित्त/नियम/चार/09 दिनांक 10-08-2009, क्रमांक 55/सी-29276/2010/वित्त/नियम/चार दिनांक 05-03-2010 एवं क्रमांक 177/एफ 2017-26-00203/वि/नि/चार दिनांक 12-04-2017 में निहित निर्देशों के तहत समयमान वेतनमान स्वीकृत करने हेतु गठित छानबीन समिति की अनुशंसा के आधार पर 16 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर नीचे सारणी में कालम (6) में उल्लेखित पात्रता की तिथि से उनके समक्ष कालम (7) में दर्शित द्वितीय उच्चतर वेतनमान स्वीकृत करता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पद	प्रथम नियुक्ति का सीधी भर्ती का पद	प्रथम नियुक्ति की तिथि	प्रारंभिक वेतनमान	16 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने की तिथि (पात्रता की तिथि)	द्वितीय उच्चतर वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	श्री हेरमन टोप्पो, कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक.	सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	09-09-1991	15600-39100+ ग्रेड पे 5400	08-09-2007 (09-09-2007)	15600-39100+ ग्रेड पे 7600
2.	श्री सुरेश कुमार नेताम, कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक.	सहायक अभियंता (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक.	19-12-1994	15600-39100+ ग्रेड पे 5400	18-12-2010 (19-12-2010)	15600-39100+ ग्रेड पे 7600

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2018

क्रमांक एफ 10-2/2015/13/1.—छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक 712/387/04/13 दिनांक 31-7-2004 से छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के प्रधान कार्यालय रायपुर हेतु सेटअप स्वीकृत किया गया है. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 08-07-2016 द्वारा उक्त आदेश की तालिका में संशोधन करते हुए सरल क्रमांक-1 को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :—

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान	संख्या
01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा का राज्य शासन द्वारा पदस्थ अधिकारी	01

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त आदेश दिनांक 08-07-2016 के सरल क्रमांक-1 को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित करता है :—

क्रमांक	पदनाम	पदस्थिति विवरण	संख्या
01	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय वन सेवा का राज्य शासन द्वारा पदस्थ अधिकारी	01

उपरोक्त संशोधन पर वित्त विभाग की स्वीकृति पृष्ठांकन कम्प्यूटर क्रमांक एफ 2018-13-00357 दिनांक 25-06-2018 द्वारा प्रदत्त की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

LAW AND LEGISLATIVE AFFAIRS DEPARTMENT
Mantralaya Mahanadi Bhawan, Naya Raipur

Raipur, the 19th July 2018

No. 7180/1789/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, and in complaince of an interim order dated 03-05-2018 of Hon'ble High Court of Chhattisgarh in W.A. No. 432 of 2018 Nikhil Kumar Sushmakar vs. State of Chhattisgarh & Another, the State Government, hereby, appoints Shri Nikhil Kumar Sushmakar S/o Late Shri Raman Lal Sushmakar (Category-Unreserved Merit No. 10) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 (Corresponding 7 C.P.C. Pay Matrix-10) under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and conditions of Service) Rules, 2006, temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished to Public Service Commission by the appointee during his selection process as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct, bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab-initio in case any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event his service shall be terminated without any enquiry or assigning any reason or cause and also no right or claim shall accrue on account of services rendered by him on the strength of this appointment order.

Furthermore, as directed by Hon'ble High Court of Chhattisgarh in interm order dated 03-05-2018 in W.A. No. 432 of 2018, this order of appointment is subject to decision of the High Power Caste Scrutiny Committee and if it results in adverse to Shri Nikhil Kumar Sushmakar then he will be liable for the consequences and outcome of W.A. No. 432 of 2018.

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्रमांक 7572/1255/21-ब/छ.ग./18.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर हेतु शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता के निम्नानुसार अतिरिक्त पद स्वीकृत करता है :—

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	शासकीय अधिवक्ता	02 पद
2.	उप शासकीय अधिवक्ता	04 पद

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद-(3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001 अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग के फाईल क्रमांक F-2018-21-01468/ब-3/चार दिनांक 24-07-2018 के द्वारा प्रदान की गई है.

Raipur, the 7th August 2018

No. 7938/2874/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Rahul Kumar S/o Shri Mukesh Kumar Sharma (Category-Unreserved Merit No. 05) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 (Corresponding 7th C.P.C. Pay Matrix-10) under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probtion for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furtnished to Public Service Commission by the appointee during his selection process as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab-initio in case any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event his service shall be terminated withouth any enquiry or assigning any reason or cause and also no right or claim shall accrue on account of services rendered by him on the strength of this appointment order.

Raipur, the 7th August 2018

No. 7940/2651/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Ruchi Mishra D/o Shri Santosh Kumar Mishra [Category-Unreserved (F-E) Merit No. 06] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 (Corresponding 7th C.P.C. Pay Matrix-10) under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probation for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished to Public Service Commission by the appointee during her selection process as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab-initio in case any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event her service shall be terminated withouth any enquiry or assigning any reason or cause and also no right or claim shall accrue on account of services rendered by her on the strength of this appointment order.

Raipur, the 7th August 2018

No. 7942/2890/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Parth Tiwari S/o Shri S. C. Tiwari (Category-Unreserved Merit No. 09) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 (Corresponding 7th C.P.C. Pay Matrix-10) under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probtion for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished to Public Service Commission by the appointee during his selection proces as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab-initio in case any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event his service shall be terminated withouth any enquiry or assigning any reason or cause and also no right or claim shall accrue on account of services rendered by him on the strength of this appointment order.

Raipur, the 7th August 2018

No. 7944/2709/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Shri Himanshu Arya S/o Shri Sahdev Arya (Category-Unreserved Merit No. 07) on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 (Corresponding 7th C.P.C. Pay Matrix-10) under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probtion for a period of two years or till further order, from the date he assumes charge of his office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished to Public Service Commission by the appointee during his selection process as well as the information given by appointee in his affidavit, considering them to be correct bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab-initio in case any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event his service shall be terminated withouth any enquiry or assigning any reason or cause and also no right or claim shall accrue on account of services rendered by him on the strength of this appointment order.

Raipur, the 7th August 2018

No. 7946/2645/XXI-B/2018.—In exercise of the powers conferred by Article 234 of the Constitution of India read with sub-rule (1) of Rule 5 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 the State Government, hereby appoints Ku. Akanksha Sexena D/o Late Shri Anil Kumar Sexena [Category-Unreserved (F) Merit No. 03] on the Post of Civil Judge (Entry Level) in the Pay Scale of 27,700-770-33,090-920-40,450-1,080-44,770 (Corresponding 7th C.P.C. Pay Matrix-10) under clause (a) of sub-rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 temporarily on probtion for a period of two years or till further order, from the date she assumes charge of her office.

This order is being issued on the basis of the documents and information furnished to Public Service Commission by the appointee during her selection process as well as the information given by appointee in her affidavit, considering them to be correct bonafide and true. This appointment order shall be deemed to be void ab-initio in case any information so furnished by the appointee is subsequently found to be concealed, false, fabricated, untrue, concocted or misleading and in such event her service shall be terminated without any enquiry or assigning any reason or cause and also no right or claim shall accrue on account of services rendered by her on the strength of this appointment order.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAVISHANKAR SHARMA, Principal Secretary

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 23 जुलाई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

रा. प्र. क्रमांक/04/12601/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोरबा	पोंड़ीउपरोड़ा	डंगनिया	1.459 हे.	रामपुर जलाशय योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 14-08-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, गुडरूमुड़ा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — रामपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु

(2) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 12 परिवार

(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	12 परिवार
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 8340.45 लाख
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	रामपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर के निर्माण होने से सिंचाई की रकबा प्रभावित होने से फसल की पैदावार में वृद्धि होगी.
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदित संस्था के द्वारा संभावित व्यय का प्रावधान किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

कोरबा, दिनांक 3 अगस्त 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/13168/क/भू-अर्जन/21 अ 82/2017-18.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
कोरबा	कोरबा	कुरूडीह	0.384 हे.	भैंसमा-कुरूडीह मार्ग में डोम नाला पर उच्च स्तरीय सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 05-09-2018 को समय 12.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत भवन, कुरूडीह में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	भैंसमा-कुरूडीह मार्ग में डोम नाला पर उच्च स्तरीय सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	09
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	414.45 लाख
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन हेतु
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये संभावित उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर द्वारा राशि 5.00 लाख का भुगतान चेक क्रमांक 313158 दिनांक 26-07-2018 के माध्यम से जमा किया गया है.
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 6 जुलाई 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 157/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	सरायपाली	पेलागढ़	2.08 हे.	दर्राभांठा व्यपवर्तन योजना से ग्राम दर्राभांठा एवं नवागढ़ की 155 हे. खरीफ सिंचाई के लिए शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम पेलागढ़.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 20-08-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, दर्राभांठा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	दर्राभांठा व्यपवर्तन योजना निर्माण से 2 ग्रामों दर्राभांठा नवागढ़ के 155 हेक्ट. में खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10 परिवार

3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 372.68 लाख (शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.)
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	दर्राभांठा व्यपवर्तन योजना से 2 ग्रामों के 155 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 6 जुलाई 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 161/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	सरायपाली	कापूकुण्डा	1.08 हे.	अर्तुण्डा बनोभांटा व्यपवर्तन योजना से ग्राम कापुकुण्डा की 120 हे. खरीफ सिंचाई के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम कापुकुण्डा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 21-08-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, लांती में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	अर्तुण्डा बनोभांठा व्यपवर्तन योजना से ग्राम कापुकुण्डा की 120 हे. खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	18 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 248.40 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	ग्राम कापुकुण्डा की 120 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 6 जुलाई 2018

प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 162/भू–अर्जन/2018.—भूमि–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	सरायपाली	लांती	4.67 हे.	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रकरण ग्राम–लांती.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 24–08–2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, लांती में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3668.25 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 9 जुलाई 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 165/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	सरायपाली	तिहारीपाली	5.65 हे.	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हेक्ट. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-तिहारीपाली.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 27-08-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, रक्शा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को खरीफ फसल के लिए सिंचाई हेतु नहर निर्माण कार्य.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	38 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 3668.25 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों को 1478 हे. में खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं. इस हेतु अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सरायपाली को राशि रु. 1468000.00 धनादेश क्र. 213009 दिनांक 06-03-2010 के माध्यम से जिला कार्यालय महासमुंद में जमा किया गया है.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 13 जुलाई 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 167/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	महासमुंद	रूमेकेल प.ह.नं. 06	2.06 हे.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना के 4 ग्रामों को 175.00 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम रूमेकेल.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-08-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, रूमेकेल में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	27 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 434.67 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

महासमुन्द, दिनांक 13 जुलाई 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 168/भू-अर्जन/2018.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	महासमुंद	झाखरमुड़ा प.ह.नं. 06	1.90 हे.	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना के 4 ग्रामों को 175.00 हे. खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा के लिए नहर कार्य हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम झाखरमुड़ा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28-08-2018 को समय 11.00 बजे से स्थान ग्राम पंचायत, रूमेकेल में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई की जा सकेगी.
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	29 परिवार
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक

6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	रु. 434.67 लाख
9.	परियोजना से होने वाला लाभ	—	नैनीनाला व्यपवर्तन योजना से 04 ग्रामों को 175 हे. को खरीफ फसल के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किये जा रहे हैं.
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 20 जुलाई 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 2/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.401 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.012
52/2 ख	0.128
138/1	0.057
17/2	0.006
51/1 क	0.006
88/2	0.049
10/2	0.006
13/1	0.006
13/2	0.006
122/3	0.004
18/2 क	0.012
60	0.024
175/1	0.004
15/1	0.008
18/1	0.004
26	0.081
135/3	0.005
181/4	0.003
22/1	0.049
181/7	0.008
181/6	0.002
48/4	0.020
14	0.028
8	0.008
184/1	0.032
28	0.093
10/1 क	0.004
29	0.089

(1)	(2)	(1)	(2)
47/1	0.215	16	0.016
62/1	0.037	43	0.049
27	0.170	52/1	0.010
175/2	0.004	46/5	0.012
34	0.045	19	0.012
179	0.012	24	0.139
47/2	0.096	135/8	0.014
15/4	0.008	136/1	0.016
42/2	0.028	32/1	0.040
61/1	0.020	22/2	0.034
135/12	0.003	136/7	0.004
15/5	0.005	122/5 ख	0.006
135/5	0.032	25/2	0.069
22/3	0.037	46/4	0.081
23	0.084	63/1	0.121
136/4 क	0.012	36/3	0.141
30	0.190	137/5	0.020
44	0.113	46/3	0.009
9	0.008	135/15	0.010
36/1	0.486	48/5	0.004
186/3	0.101	136/5	0.024
64/2	0.267	182/2	0.022
21	0.082	182/3	0.028
123/1	0.066	135/10	0.008
48/3 क	0.012	91/3	0.020
4	0.012	122/5 ग	0.003
40	0.016	136/9	0.004
137/2	0.049	135/7	0.003
15/3	0.008	138/2	0.121
39, 41/2	0.028	32/2	0.032
48/1	0.049	89	0.057
61/4	0.020	122/4	0.006
135/16	0.010	137/4	0.020
20	0.012	38	0.113
136/3 ख	0.012	46/1 क	0.040
135/2	0.006	135/6	0.010
25/1	0.065	136/6	0.024
136/4 ख	0.012	49/1	0.009
51/3	0.038	50/2	0.008
50/1	0.128	52/4	0.032
45/1, 45/2	0.057	59	0.054
63/2	0.121	135/18	0.003
11/1	0.004	135/4	0.008
88/1	0.081	175/5	0.002
184/2	0.201	135/9	0.006
180	0.028	135/13	0.006
137/1 ग	0.014	177/1	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
178	0.008	48/6	0.045
175/4	0.003	176	0.014
33	0.081	52/6	0.020
41/1	0.113	52/5	0.032
46/1 ख	0.040	135/1 क	0.008
48/2	0.049	138/3	0.028
181/2	0.008	122/5 क	0.003
135/17	0.005	135/1 ख	0.006
52/3	0.032	136/8	0.004
52/7	0.020	181/1	0.007
61/2	0.040	177/2	0.010
64/1	0.202	182/4	0.012
122/2	0.003		
122/8	0.003	योग 157	6.401
135/11	0.005		
48/3 ख	0.006		
175/6	0.002		
182/1	0.016		
31	0.028		
36/2	0.101		
45/3	0.057		
46/2	0.012		
61/3	0.040		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
पी.-3, सी. 244-45, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-27, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2018

क्रमांक 65/4443-4451.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल" में संचालित योजना क्रमांक 49, दिनांक 02-02-2017 "मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना" के अ (ii) (6) के नर्सिंग कालेज के पश्चात् निम्नांकित अंत:स्थापित किया जाता है.

मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना :—

(अ) (ii) (6) — GNM नर्सिंग, बी-फार्मेसी तथा डी-फार्मेसी

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2018

क्रमांक 66/2018/4906-4914.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के बच्चों हेतु निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "विशेष शिक्षा सहायता योजना" होगा.

योजना के तहत् ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीयन से 01 वर्ष पश्चात् होती है, तो मंडल उनके प्रथम 02 संतान हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा तथा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना/मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना/ तकनीकी शिक्षा योजना के समस्त प्रावधानों का लाभ पात्रतानुसार मृतक के प्रथम 02 संतानों को दिया जावेगा.

(ii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना की पात्रता :—**

(i) योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 02 संतानों को लाभ की पात्रता होगी.

(ii) मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार (माता-पिता) में कोई और पंजीकृत श्रमिक होने पर बच्चों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—** योजना के अंतर्गत मंडल के वेबसाईट में ऑन-लाईन आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया जावेगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) पात्रता की जांच उपरांत संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा सहायता राशि आवेदक के खाते में स्थानांतरित की जावेगी.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

पदुम सिंह एल्मा,
सचिव.